न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 414/13 **निर्णय दिनांकः 04.09.2018**

1. झमनलाल पुत्र बालुराम जाति सुनार निवासी गावं धीरबास तहसील तारानगर जिला चूरू।

अपीलांट्

–बनाम–

1. हरिसिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति जटसिख गांव चक 21 एच तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 11–06–1999
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री विनोद नाथ, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 11–06–1999 जिसके द्वारा अपीलांट् को आवंटित भूमि का विधि विरूद्व तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवटन कर दिया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने चक 16 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 32/31 का बतौर विशेष आवंटन हेतु वर्ष 1996 में आवंटन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 23—10—1997 को जी.ए. 55 रसीद संख्या 144617/61 द्वारा 35 प्रतिशत राशि 20743/— जमा करवाते हुए वादगत् भूमि का आवंटन अपीलांट के पक्ष में कर दिया गया। अपीलांट द्वारा नियमानुसार कब्जा प्राप्त करते हुए बरवक्त कब्जा 10 प्रतिशत राशि जमा करवा दी गई। अपीलांट को उक्त रकबा आज दिनांक को भी आवंटित है तथा मौके पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलांट के आवंटन के राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की जिम्मेदारी राजस्व कर्मचारियों की थी।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों के बावजूद भी आराजी जैर का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को एकतरफा तौर पर कर दिया गया। कानूनन जब एक बार किसी आराजी का आवंटन होने के पश्चात् उसी रकबे का दुबारा आवंटन नहीं किया जा सकता। चूंकि वादगत् आराजी का आवंटन अपीलांट को हो चुका था ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट का आवंटन पश्चात्वर्ती आवंटन होने से खारिज योग्य व प्रारम्भ से ही शून्य व निष्प्रभावी होने से निरस्त योग्य है।

अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में आगे बताया कि आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से स्वेच्छाचारी तरीके से पारित किया गया है। जो आवंटन नियमों से स्पष्ट विपरीत है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया है जो विधि विरूद्व होने से काबिल खारिज है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश जिसके माध्यम से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आराजी जैर का आवंटन किया गया है निरस्त फरमाया जावे।

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के समन रजिस्टर्ड जारी होने के बावजूद भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 29—04—2015 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा आराजी जैर के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा रिपोर्ट प्राप्त की गई व मात्र रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र आराजी जैर के आवंटन हेतु प्रस्तुत होने पर यह अंकित किया गया कि वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अन्य आवेदक रूधनाथ, मांगीलाल, जीतसिंह, जगतार सिंह, सतीश आदि उपस्थित नहीं आये है। श्री हरिसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह के उपस्थित आने पर अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तत तमाम सबूतों के अनुसार राजस्थान का निवासी, सद्भावी काश्तकार प्रमाण पत्र, सिलिंग सीमा की जॉच के उपरान्त आराजी जैर का आवंटन किया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आराजी जैर की 35 प्रतिशत राशि जमा करवाई जा चुकी है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट के पक्ष में आवंटन पट्टा भी जारी किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में आराजी जैर के संबंध में तमाम राजस्व रिकार्ड रेस्पोडेन्ट के नाम दर्जशुदा हो चुके है।

राजकीय अभिभाषक ने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश की अपील करीब 14 वर्ष उपरान्त पेश की गई है। जो स्पष्ट रूप से मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अपने मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश बहाल रखा जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. (1) हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा सर्वप्रथम वादगत् भूमि चक 16 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 32/31 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा भूमि का आवंटन बतौर विशेष आवंटन अपीलांट को किया गया। तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा उक्त आराजी जैर का आवंटन आवंटन सलाहकार समिति की राय से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को इस आधार पर आवंटन किया गया कि आराजी जैर के आवंटन हेतु अन्य आवेदकों के उपस्थित नहीं आने व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की पात्रता धोषित करते हुए 35 प्रतिशत राशि जमा करवाते हुए आवंटन किया गया है।

(2) अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्ट को इगानप क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम 1975 के तहत प्रस्तावित भूमि चक 16 बीएलडी के मुरब्बा नम्बर 32/31 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा भूमि इस आधार पर आवंटित की गई कि आराजी जैर रकबाराज दर्ज रिकार्ड व निर्विवाद उपलब्ध है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आदेश जैर अपील की पालना में निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है।

(3) प्रकरण में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट दोनों पक्षों द्वारा अपने आवंटन आदेश की पालना में निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है। अदालत मातहत द्वारा आराजी जैर का प्रथम आवंटन अपीलांट को तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट को दिनांक 11—06—1999 को आराजी जैर का आवंटन किया गया है। अदालत मातहत को प्रकरण में रेस्पोडेन्ट के पश्चात्वर्ती आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जॉच की जानी चाहिए थी कि क्या रेस्पोडेन्ट के आवंटन की दिनांक को आराजी जैर विशुद्व रूप से उपलब्ध है अथवा नहीं?

(4) हमने पत्रावली तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तत दस्तोवेजों से साबित है कि वादगत् भूमि अपीलांट को बतौर विशेष आवंटन में वर्ष 1997 में आवंटित भूमि थी। आवंटन पश्चात् अपीलांट द्वारा निर्धारित राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है तथा मौके पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा बिना राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये व अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये अथवा इस तथ्य की जॉच किये बिना कि क्या वादगत् भूमि शुद्व रूप से आवंटन हेतु

उपलब्ध है अथवा नहीं? आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जो किसी भी स्थिति में युक्तियुक्त आवंटन की श्रेणी में नहीं आता है।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 11—06—1999 सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ मु. बीकानेर निरस्त किया जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक को 04.09.2018 सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर